कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ कैम्प गोगामेड़ी

क्रमांकः–लेखा / देव / गोगामेडी / 2022 / 2119 दिनांकः– 30.8.22

गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह की अस्थाई दुकाने लगाने हेतु रिक्त भूमि की ऑन–लाईन (ई–बोली) सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह के लिए दिनांक 15.09.2022 से मेला वर्ष 2023 के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक लगने वाली अस्थाई दुकाने हेतु रिक्त भूमि को किराये पर देने हेतु ऑन–लाईन ई–बोली www.zilahanumangarh.in पर लॉग–इन कर पंजीयन शुल्क 200/– ऑन–लाईन खाते में जमा करवाने के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति एवं निर्धारित अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित **कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (कैम्प गोगामेड़ी), विभागीय धर्मशाला, गोगामेड़ी** में जमा करवाकर ई–बोली लगा सकता है।

ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण			दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक			04.09.2022
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक			06.09.2022
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक			06.09.2022 सांय 06.00 बजे तक (विभागीय धर्मशाला गोगामेड़ी)
4.	ऑन–लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक			07.09.2022
5.	ऑन–लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	मनिहारी बाजार पश्चिम(12), मनिहारी बजार पीछे की साईड पूर्व की तरफ (12), चूड़ी बजार (12), स्टेशन रोड़ पक्की दक्षिण की तरफ (35),	कुल भूखण्डों की सख्या – 71	09.09.2022 दोपह 12.00 बजे तक
		स्टेशन रोड़ पक्की उत्तर की तरफ (33)विद्युत ट्रांस्फार्मर के पास (2), स्टेशन रोड़ पक्की उत्तर साईड कुम्हार कुण्ड की तरफ(8), कुम्हार कुण्ड की तरफ पश्चिम साईड(9), तहसील भवन के पास पूर्व साईड(10), तहसील भवन के सामने सांस्कृतिक मंच उत्तर साईड कुमार कुण्ड के सामने(7),	कुल भूखण्डों की सख्या – 69	09.09.2022 दोपहर 03.00 बजे तक
		नोहर बाजार(5), नेठराना बाजार पश्चिम साईड(15), विविध क्राफ्ट बाजार (11) बस स्टैण्ड मंदिर का मैन गेट से पक्की सड़क उत्तर की तरफ(10), पैनोरमा के पास (30)	कुल भूखण्डों की सख्या – 71	09.09.2022 सांय 06.00 बजे तक

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ
कैम्प गोगामेड़ी

क्रमांकः–लेखा / देव / गोगामेडी / 2022 / 2120 - 2140 दिनांकः– 30.08.2022

प्रतिलिपि– अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ऑन–लाईन निलामी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ई–बोली हेतु अपका प्रतिनिधि नियुक्त करनें एवं उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त अस्थाई भुखण्डों की ऑनलाईन ई–बोली की सम्पूर्ण प्रक्रिया संचालन बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।
3. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
5. श्रीमान् उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त ऑन लाईन बोली की विज्ञप्ति, शर्ते, नक्शा, बाजार वाईज अस्थाई भुखण्डों/दुकानों, अमानत राशि एवं आरक्षित मूल्य का विवरण वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6. श्रीमान् सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/उदयपुर/ऋषभदेव /अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/वृंदावन को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार (राजस्व) नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
10. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेडी।
11. मेनेजर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर चस्पादगी रिपोर्ट प्रेषित करें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ
कैम्प गोगामेड़ी

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ

(जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ–जंक्शन, 335512)

E-mail- ac.hmn.dev@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 30-08-2022

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी में वर्ष 2022–23 हेतु अस्थाई दुकानों / भूखण्डो की लगभग 11 माह अवधि के लिए ऑन–लाईन बोली की सामान्य शर्ते–

1. अस्थाई दुकानो की लगभग 11 माह के लिए अस्थाई आवंटन ऑन–लाईन बोली द्वारा आमंत्रित की जावेगी। इसमें भाग लेने के लिए बोलीदाता को साईट / वेब साईट www.zilahanumangarh.in पर पंजीयन कराना होगा। जिसमें लगने वाला पंजीयन शुल्क पुनर्भुगतान योग्य नहीं (Non Refundble) होगा। एक पंजीयन अधिकतम 20 यूनिट (अस्थाई दुकानों / भुखण्डों) के लिए मान्य होगा।
2. ऑन–लाईन बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को सलंग्न सूची अनुसार अमानत राशि जमा करानी होगी, तब ही बोली में भाग ले सकता है।
3. जमा अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
4. ऑन–लाईन बोली की समाप्ति पर अधिकतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण राशि आगामी दो दिवस में जरिये डी.डी. / बैंकर चैंक **"सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ" के नाम से देय" कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (कैम्प गोगामेड़ी), विभागीय धर्मशाला, गोगामेड़ी** में जमा करानी होगी। उक्त बोली राशि में बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि को उसी अस्थाई दुकान / भुखण्ड में ही समायोजित करवाई जा सकती है जिस अस्थाई दुकान / भुखण्ड के लिए अमानत राशि जमा करवाई गई है। उक्त राशि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर उसकी अमानत राशि को जप्त करते हुए विभाग द्वारा द्वितीय बोलीदाता व अन्य क्रमवार बोलीदाता को अवसर दिया जावेगा।
5. उपरोक्त बिन्दु संख्या 04 में बोली असफल होने की दशा में निलामी बोली निरस्त की जाकर पुनः निलामी की कार्यवाही नियमानुसार विभाग द्वारा की जावेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता द्वारा बिन्दु सख्या 04 में उल्लखित राशि जमा न कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अमानत राशि जप्त की जावेगी।
7. अस्थाई दुकानों का विस्तृत विवरण, आरक्षित मूल्य, अमानत राशि एवं शर्तों को ऑन–लाईन पोर्टल / सहायक आयुक्त देवस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।
8. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व अमानत राशि की डी.डी. / बैंकर चैंक **"सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ के नाम से देय"** अपना पंजीयन प्रमाण–पत्र, आधारकार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति सहित विभागीय धर्मशाला गोगामेडी में लिंक कैशियर **श्री लाल चन्द छींपा** को ही निर्धारित दिनांक व समय तक जमा करानी होगी। पंजीयन प्रमाण–पत्र का अनुमोदन होने के पश्चात् पंजीयनकर्ता दुकानों की निलामी बोली में भाग ले पायेगा।
9. उक्त मेला क्षेत्र में दुकानो का अस्थाई आवंटन निर्धारित समय लगभग 11 माह (दिनांक 15.09.2022 से मेला वर्ष 2023 प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक) हेतु रहेगा, जिसे विभाग घटा–बढा सकता है।
10. सफल प्रथम बोलीदाता के निर्धारित समय पर सम्पूर्ण राशि जमा करवाने में विफल होने पर उसके द्वारा उसी भुखण्ड की जमा अमानत राशि को जप्त करते हुए द्वितीय / तृतीय बोलीदाता व अन्य क्रमवार बोलीदाताओं को अवसर दिया जावेगा, तथा संबंधित बोलीदाता को अवसर दिया जाने पर विभाग द्वारा दी गई अवधि में ही सम्पूर्ण बोली राशि डी.डी. / बैंकर चैंक द्वारा जमा करवानी होगी।
11. इच्छुक बोलीदाता अपनी चयनित दुकान हेतु आरक्षित बोली राशि एवं अपनी पूर्व में दर्ज की गई बोली से अधिक 100 के गुणांक में बोली लगा सकेगा, चाहे उनकी बोली उच्चतम बोली से कम हो।
12. मेला परिसर में मौजूद पेड, पौधे व झाडिया आदि नहीं काटी जायेगी। यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
13. जिन अस्थाई दुकानों की बोली अंतिम दिवस तक प्राप्त नही होती है, उन दुकानों की अंतिम बोली दिनांक निलामी समिति द्वारा आगे बढाई जा सकती है।

14. ई–बोली के पश्चात ठेके की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निलामी समिति का होगा।
15. सफल बोलीदाता द्वारा मेला परिसर/मेला ग्राउड में स्थाई/अस्थाई सम्पत्तियॉं, अन्य दुकानदारों आदि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅंचायेगा।
16. समस्त बोली दाता कोरोना कोविड–19 की गाईड लाईन अनुसार मास्क पहनकर एवं गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुए बोली में भाग लेगें।
17. पूरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यदि दुकानदार द्वारा लाउडस्पीकर लगाया गया तो उसे जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. दुकान हेतु बिजली कनेक्शन जोधपुर विधुत वितरण निगम से अधिकतम बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर लेना होगा। देवस्थान विभाग की विद्युत लाईन से अवैध कनेक्शन पाये जाने पर मौके पर ही शास्ति वसूली व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
19. प्रत्येक दुकानदार को दुकान के सम्मुख कचरा पात्र रखना होगा तथा वहां सफाई व्यवस्था रखनी होगी। मेला क्षेत्र में लगने वाली अस्थाई दुकान/भुखण्ड में पॉलीथीन थैलिया काम में नहीं ली जावेगी। प्रंत्येक दुकानदार को अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए स्वयं के खर्चे पर अग्निशमन यंत्र लगाना होगा। यदि पॉलिथीन की थैलिया काम में ली गई पाई गई अथवा सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने पर 5000/– रूपये जुर्माना देना होगा तथा दुकानदार का आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
20. सफल बोलीदाता/दुकानदार को बाल मजदुरी अधिनियम की पालना करनी होगी।
21. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों की संख्या व साईज में कमी–बेसी हो सकती है। सफल बोलीदाता को आवंटित/निर्धारित क्षेत्र में ही सीमित रहना होगा, निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर शास्ति लगाई जाकर अतिक्रमण हटाया जावेगा।
22. अस्थाई दुकानों में मंदिर की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मांस, मदिरा, लकडी का बुरादा, नशीला पदार्थ आदि वर्जित सामग्री बेचा जाना वर्जित होगा। अगर कोई दुकानदार विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं समस्त जमा राशि जब्त कर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
23. ऑन–लाईन बोली में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता द्वारा मौका मुआवना स्वयं के स्तर पर कर सकता है। बोली में भाग लेने के पश्चात् विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
24. ऑन–लाईन बोली में सम्मलित अस्थाई दुकानों का विवरण, नक्शा एवं शर्ते व प्रक्रिया सबंधित **www.devasthan.rajasthan.gov.in, zilahanumangarh.in** व **sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।
25. सफल बोलीदाता अन्य किसी को किरायेदारी हस्तान्त्रित (Sublet) नही करेगा।
26. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत सोशल डिसटेसिंग की पूर्ण पालना के साथ बोली स्थल पर केवल बोली दाता/अमानत राशि जमा करवाने वाला ही मास्क पहनकर उपस्थित होगा।
27. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत दुकानदार उस ग्राहक को जिसने मास्क नही पहन रखा है, उसे सामान नही बेचेगा। दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी (6 फुट दूरी) के साथ ग्राहको को प्रवेश की अनुमति दी जावें। दुकानो में दुकानदार द्वारा ग्राहको हेतु हैण्डवाश एवं सेनिटाईजर का प्रबंध किया जावेगा।
28. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत दुकानदार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी गाइडलाईन की पूर्णतया पालना करेगा।
29. समस्त बोली अवधि के दौरान किरायेदार को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/महामारी से होने वाले नुकसान की किसी भी प्रकार की जिम्मेदार विभाग की नही होगी। एवं न ही किसी प्रकार की भी राशि लौटाई जावेगी।
30. उपरोक्त शर्तो का उल्लधन पाये जाने पर अस्थाई दुकान निरस्त की जा सकेगी एवं जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
31. आवंटित अवधि की समाप्ति (मेला वर्ष 2023 प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक) को अथवा इससे पूर्व अस्थाई दुकान का कब्जा विभाग को सोपना होगा।
32. खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को अधिकृत लाईसेन्स अपने पास रखना होगा।
33. एक व्यक्ति द्वारा एक पंजीयन पर अधिक्तम 20 यूनिट (दुकानों/अस्थाई भूखण्ड) में भाग ले सकेगा।

34. उक्त बोली में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टड अथवा विभाग का कोई बाकीदार, संवेदक/फर्म/व्यक्ति इस ऑन–लाईन बोली प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है।
35. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 42, जिसके अन्तर्गत बोली प्रकियां में हस्तक्षेप करने वाले दोषी व्यक्ति के विरूध 5 वर्ष तक की सजा और 50 लाख रूपये या उपापन के निर्धारित के दस प्रतिषत तक के जुर्माना का प्रावधान है, एवं सत्यनिष्ठा की संहिता धारा 11 सहित समस्त धाराएं एवं नियम 2013 व निविदा सूचना संबंधी सभी शर्ते लागू होगी।
36. उक्त अस्थाई दुकानों की ऑन–लाईन निलामी प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात्वर्ती किसी प्रकार का कर देयता बनती हैं तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
37. ठेका की अवधि लगभग 11 माह दिनांक 15.09.2022 से मेला वर्ष 2023 प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक तक के लिये है
38. सफल बोलीदाताओं की सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं पोर्टल पर आगामी दिवस में प्रदशित की जावेगी।
39. निलामी कार्यवाही से सबंधित सभी अधिकार निलामी समिति में निहित होगें।
40. ऑन–लाईन प्रक्रिया दुकानों में आरक्षित मूल्य (बीड प्राईज) से उपर 100/– रूपये के गुणाक में बोली लगाई जा सकती है।
41. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र हनुमानगढ जिला मुख्यालय रहेगा।
42. राज्य सरकार एवं विभागीय नीति नियम/आदेश/सामान्य वित्तीय लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व अन्य सदंर्भित नियम, बोली सूचना संबंधी सभी शर्तें लागू होगी।
43. अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in, zilahanumangarh.in व sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
44. बोलीदाता पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था का किसी प्रकार के कर/शुल्क की देयता बनती है तो उसे बोली दाता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा तथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
45. बोलीदाता जी.एस.टी. पंजीयन व जी.एस.टी. संदाय के संबंध संबंधित विभाग की समस्त औपचारिकता की पालना स्वयं के स्तर पर करे।
46. ऑन–लाईन बोली में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर/के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।
47. उक्त शर्तो में मौके की स्थिति अनुसार संशोधन उपापन कमेटी द्वारा किया जा सकता है यथा अमानत राशि में बढोतरी आदि।

Sunita

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, हनुमानगढ